

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा संशोधन योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 03 स्वाभाविक गृह्य के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	गृह्य/निःशक्तता का ब्योरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रव० रागरा देवी, 64, गहेन्द्र रादा, अनुसूचित जाति	गहेन्द्र रादा (पति)	319 29.04.2026 एवं 1173 16.12.2025	ग्राम बघड़ा, पो० कुर्बन, थाना। प्र० बेलदौर, जिला खगड़िया 0290435396	351205 10014 252	DBGB PUNBOMB GB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक गृह्य, खेतिहर गजदूर
2	रव० गंडोरी रादा, 41, रव० जगलत रादा, अनुसूचित जाति	रीता देवी (पत्नी)	319 29.04.2026 एवं 1194 30.12.2025	ग्राम। पो० दिघौन, थाना। प्र० बेलदौर, जिला खगड़िया 9939236567	3512011 0020952	DBGB PUNBOMB B06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक गृह्य, खेतिहर गजदूर
3	रव० सुरेन्द्र सिंह, 61, घोल्टन सिंह, अनुसूचित जाति	दुल्लो देवी (पत्नी)	319 29.04.2026 एवं 46 12.01.2026	ग्राम गिरता, पो० हरिपुर, थाना। प्र० अलौली, जिला-खगड़िया 8100480219	6642001 7000076 54	PNB PUNB066420 0	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक गृह्य, पलेदारी का कार्य

कुल राशि :- रु० 1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

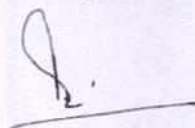
ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-23/2025 -744 पटना, दिनांक :- 1.8.2025/08.08.2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु०



1,50,000 /—(एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, खगड़िया / उप श्रमायुक्त, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 05-06-2026 15:18:25

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक